संख्या-37/2018/1490/सोलह-1-2018-9(बजट-1)/2011

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांकः 10 अप्रैल, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम छः माहों के लिए स्वीकृत वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य मदों में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वेतन भत्तों को छोड़कर अन्य मदों पर प्रथम छः माहों में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु रू 13,06,000.00 (रूपये तेरह लाख छः हजार मात्र) को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार अनुमोदित मदों पर ही व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 'एच' के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित मदों में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्था द्वारा अपनी आय/बचत से वहन किया जायेगा।

3. इस धनराशि के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होगी।

4. इस धनराशि की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय।

5. अवमुक्त धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनाक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

2...

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- '2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के पत्रांक-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-37/2018/1490/सोलह-1-2018-9(बजट-1)/2011, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) अपर निदेशक, कोषागार, गोरखपुर मंडल।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(8) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
(9) वित्त इ-11/प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
अनु सचिव

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /3383(1)/सोलह-1-2018-9(बजट-1)/2011

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-19 के अवशेष छः माहों के लिए स्वीकृत वेतन भत्तों के अतिरिक्त अन्य मदों में होने वाले व्यय को वहन करने हेतु अनुदान की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के वेतन भत्तों को छोड़कर अन्य मदों पर अवशेष छः माहों में होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु रूपये 13,05,000.00 (रूपये तेरह लाख पाँच हजार मात्र) की धनराशि को अनुदान के रूप में स्वीकृत करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार अनुमोदित मदों पर ही व्यय किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित मदों में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्था द्वारा अपनी आय/बचत से वहन किया जायेगा।

3- इस धनराशि के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए की शर्तें भी लागू होंगी ।

4- इस धनराशि की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जाय ।

5- स्वीकृत धनराशि तत्कालिक आवश्यकता होने पर अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर व्यय की वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना, निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

FC

199/RO/Grant/18
27/10/18

6- उपर्युक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-1190(I)/दस-2018, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-- /2018/3383(1)/सोलह-1-2018-9(बजट-1)/2011, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर ।
(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर ।
(5) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मंडल, कानपुर।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11 / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
उप सचिव।